



केंद्रीय कर आयुक्त का कार्यालय  
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL TAX  
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर वड़ोदरा - १ आयुक्तालय  
GST VADODARA-I COMMISSIONERATE  
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर भवन, रेसकोर्स सर्कल, वड़ोदरा - ३९०००७  
GST BHAVAN, RACE COURSE, VADODARA- 390007

TRADE NOTICE No. 07/2018

Attention of all the Trade is invited to the following Circulars/Orders/Notifications issued by the Central Board of Excise and Customs, New Delhi for information and necessary action.

Sr. No	Order/Circular/Notification No.	Date	Gist
1	Circular No. 48/22/2018-GST	14.06.2018	Clarifications of certain issues under GST.

2. Circular No. 48/22/2018-GST dated 14.06.2018 may be downloaded from the Uniform Resource Locator i.e. <http://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/gst/cgst-circ-idx-2017>.

3. All the Trade Association, Chambers of Commerce and Industry, members of RAC of this formation are requested to circulate and publicize the contents of this Trade Notice amongst their member constituents. Difficulties, if any, faced in this regard may be brought to the notice of this office.

(Dr. Ashir Tyagi)  
Commissioner,  
Central Tax & Central Excise,  
GST Vadodara-I Commissionerate

F.No. IV/16-173/TradeNot.Cir/Tech/2015-16

To,

Vadodara, Date: 15.06.2018

1. As per mailing list.
2. Notice Board.
3. All the Section of the HQ, CGST Vadodara-I Commissionerate.
4. The Deputy Commissioner/Assistant Commissioner, Central Goods & Service Tax Commissionerate, Division- I to XII, CGST Vadodara-I Commissionerate to be informed to field formations suitable.
5. The Superintendent (Computer Cell), CGST & Central Excise, HQ, CGST Vadodara-I Commissionerate for the purpose of posting it on website.



केंद्रीय कर आयुक्त का कार्यालय  
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL TAX  
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर वड़ोदरा - १ आयुक्तालय  
GST VADODARA-I COMMISSIONERATE  
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर भवन, रेसकोर्स सर्कल . वड़ोदरा - ३९०००७  
GST BHAVAN, RACE COURSE, VADODARA- 390007  
व्यापार सूचना संख्या 07/2018-19

सभी व्यापार संघ/व्यवसायियों, व्यवसाय एवं उद्योग मंडलों, आरएसी के सभी सदस्य तथा सम्बन्धित व्यक्तियों का ध्यान केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और सीमा शुल्क, नई दिल्ली द्वारा जारी किये गए निम्नलिखित परिपत्रो/आदेशो/अधिसूचनाओ की जानकारी तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु आकर्षित किया जाता है:-

क्र. सं.	आदेश/परिपत्र सं./अधिसूचना	दिनांक	सारांश
1	परिपत्र सं. 48/22/2018-जी.एस.टी.	14.06.2018	जी.एस.टी. के अंदर कुछ मामलो में विशुधियो का निवारण

2. परिपत्र सं. 48/22/2018-जी.एस.टी. दिनांक 14.06.2018 यू.आर.एल. <http://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/gst/cgst-circ-idx-2017> से डाउनलोड किये जा सकते है ।

3. सभी ट्रेड एसोसिएशन, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, आरएसी के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वह इस व्यापार सूचना में दी गई जानकारी को अपने सभी सदस्यों के बीच परिचालित तथा प्रचारित करें । यदि इस संबंध में किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप उसे इस कार्यालय के ध्यान में ला सकते हैं ।

  
(डॉ. अशीर त्यागी)

आयुक्त,  
केंद्रीय कर और केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर,  
वड़ोदरा-I आयुक्तालय  
वड़ोदरा, दिनांक: 15.06.2018

फा.सं. IV/16-173/TradeNot.Cir/Tech/2015-16

सेवा में,

1. मेलिंग लिस्ट के अनुसार ।
2. नोटिस बोर्ड ।
3. सभी विभाग ,केंद्रीय कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,वड़ोदरा-I,वस्तु एवम सेवा कर कार्यालय ।
4. उप/सह आयुक्त ,केंद्रीय कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,मंडल । से XII, वड़ोदरा-I
5. अधीक्षक (कंप्यूटर सेल) , केंद्रीय कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,वड़ोदरा-I(वेबसाइट पर अपलोड करने के उद्देश्य से)